COURT FEE
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
बीस रुपये TWENTY RUPEES

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर, केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. /2017 निगरानी

3R/निगरानी/नीमच/भू.रा/2017/4834

श्रीमती राजकुंवरबाई पिता सूरजमल जी, पत्नी स्व. श्री देवीलाल जी ब्राह्मण निवासी उज्जैन द्वारा मुख्त्यारआम सागरमल पिता बसंतीलाल ब्राह्मण आयु 58 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम नयागांव तहसील जावद जिला नीमच म.प्र.

—— आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती प्रेमाबाई पति स्व. लक्ष्मीलाल जी ब्राह्मण
2. महादेवा पिता स्व. लक्ष्मीलाल जी ब्राह्मण
3. गणेश स्व. लक्ष्मीलाल जी ब्राह्मण

समस्त निवासीगण ग्राम नयागांव तहसील जावद जिला नीमच म.प्र. —— अनावेदकगण

23/11/17

22.12.17

## आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी जावद जिला नीमच के द्वारा प्र.क्र. 24/अपील/2016—17 में आदेश दिनांक 17—10—2017 से पारित अंतरिम आदेश बाबत स्थगन से दुखित व असंतुष्ट होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :—

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/4834

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22–12–2017 | आवेदक अधिवक्ता श्री कमलसिंह आंजना उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण के निराकरण तक स्थगन दिया गया है, जबकि म0प्र0भू–राजस्व संहिता में तीन माह तक की अवधि का प्रावधान है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का निर्देश दिये जाते हैं कि वे संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित करें । इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष | |